## अक्सर पूछे जानेवाले प्रश्न

### कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (1) में उल्लिखित 'किसी वित्तीय वर्ष' का क्या अर्थ है?

इस अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (1) के साथ पठित कंपनी नि.सा.उ. नियम, 2014 के नियम 3(2) के अधीन संदर्भित "कोई वित्त वर्ष" का अर्थ पिछले तीन वित्त वर्षों में से कोई एक वर्ष है। (साधारण परिपत्र सं. 21/2014, दिनांक: 18.06.2014 का संदर्भ ले सकते हैं।)

### इस अधिनियम की धारा 135 के अधीन अर्थात् निगम सामाजिक उत्तरदायित्व, किस वित्त वर्ष से लागू है?

कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन नि.सा.उ. प्रावधान का अनुपालन अर्थात् नि.सा.उ. समिति का गठन, नि.सा.उ. नीति बनाना, निगम सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर निर्धारित राशि खर्चा करना अप्रैल, 2014 से लागू हुए।

### क्या किसी अधिनियम/नियमों की संविधि को पूरा करने के लिए अनुसूची VII के अधीन शामिल गतिविधियों पर कंपनी द्वारा खर्च को नि.सा.उ. खर्च में शामिल किया जा सकता है?

इसे नि.सा.उ. खर्च में हिसाब में नहीं लिया जाता। (साधारण परिपत्र सं. 21/2014, दिनांक: 18.06.2014 की मद सं.(iii) का संदर्भ ले सकते हैं।

### क्या कंपनी की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व की गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से नियुक्त कार्मिकों की बाबत खर्च को निगम सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के लिए निर्धारित खर्च में शामिल किया जा सकता है?

कंपनियों के द्वारा नियमित नि.सा.उ. स्टाफ के साथ साथ उन कर्मचारियों को, जो नि.सा.उ. के लिए अपनी सेवाएँ प्रदान करते हैं, को भुगतान किया गया वेतन प्रशासनिक ऊपर खर्च का भाग होता है और नि.सा.उ. नीति, नियम, 2014 के नियम 4(6) के अनुसार कुल नि.सा.उ. खर्च का 5% से अधिक नहीं होना चाहिए।

### क्या किसी कंपनी के नि.सा.उ. खर्च को व्यवसाय खर्च के रूप में दावा किया जा सकता है?

कंपनी के द्वारा नि.सा.उ. की बाबत किए गए खर्च को व्यवसाय खर्च के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। वित्त अधिनियम, 2014 प्रावधान करता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में संदर्भित निगम सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित गतिविधियों पर निर्धारिती द्वारा किए गए किसी व्यय को व्ययसाय या पेशे के उद्देश्य के लिए किए गए व्यय के रूप में नहीं माना जा सकता।

### क्या अनुभाग 135(5) के लिए 'औसत शुद्ध लाभ' कसौटी शुद्ध कर-पूर्व लाभ है या शुद्ध कर पश्चात लाभ?

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार शुद्ध लाभ का संगणन प्राथमिक रूप से शुद्ध कर-पूर्व लाभ है।

### क्या नि.सा.उ. खर्च अनुसूची VII की गतिविधियों के बाहर भी खर्च किया जा सकता है?

कारपोरेट कार्य मंत्रालय का साधारण परिपत्र सं. 21/2014 दिनांक जून 18, 2014 स्पष्ट करता है कि सांविधिक प्रावधान और निसाउ नियम, 2014 यह सुनिश्चत करने के लिए है कि नि.सा.उ. नीति के अनुसरण में गतिविधियों को हाथ में लेते वक्त जाँच लिया जाए कि ये कंपनी अधिनियम 2013 की धारा VII से संबंधित अवश्य होने चाहिए। लेकिन, अनुसूची VII कथित प्रविष्टियों की व्याख्या उदारता से की जानी चाहिए ताकि उक्त अनुसूची में वर्णित विषय का सार हासिल किया जा सके। इस अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध, व्यापक-आधार पर हैं और विशद स्तर की गतिविधियों को समाविष्ट करने के अभिप्राय से हैं।

### नि.सा.उ. के अधीन कौन से कर लाभ उठाए जा सकते हैं?

इनके अनुसार नि.सा.उ. खर्च पर कोई विशिष्ट कर छूट प्रदान नहीं की गई है। वित्त अधिनियम, 2014 भी स्पष्ट करता है कि नि.सा.उ. पर खर्च व्यवसाय खर्च का भाग नहीं होता। जबकि नि.सा.उ. पर किए गए खर्च को कोई विशिष्ट कर-छूट नहीं दी गई है, अनुसूची VII में वर्णित विभिन्न गतिविधियों पर किए खर्च यथा- प्रधानमंत्री राहत कोष, वैज्ञानिक अनुसन्धान, ग्रामीण विकास परियोजनाएँ, कौशल विकास परियोजनाएँ, कृषि विस्तार परियोजनाएँ, आदि में किए गए अंशदान को आयकर अधिनियम 1961 के विभिन्न अनुभागों के अधीन पहले से छूट प्राप्त है।

### नि.सा.उ. खर्च में किन गतिविधियों को योग्य नहीं माना जाता?

नि.सा.उ. परियोजनाएँ या कार्यक्रम या गतिविधियाँ जो केवल कंपनी के कर्मचारियों और उनके परिवारों को लाभ पहुँचाती हों, उन्हें इस अधिनियम की धारा 135 के अधीन निगम सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियाँ नहीं माना जाता।

• एकबारगी कार्यक्रमों यथा- मैराथनों/ पुरस्कार/ दातव्य अंशदान/ विज्ञापन/दूरदर्शन-कार्यक्रमों के प्रायोजन आदि नि.सा.उ. खर्च  के भाग रूप में योग्य नहीं होते।

• कंपनी के द्वारा किसी अधिनियम/ विनियमों के विधान (यथा- श्रमिक कानूनों, भूमि अधिग्रहण अधिनियम आदि) को पूरा करने के लिए किए गए व्यय कंपनी अधिनियम के अधीन नि.सा.उ. खर्च में नहीं गिना जाता।

• किसी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई किसी राशि के अंशदान को नि.सा.उ. गतिविधि के रूप में नहीं माना जाता। कंपनी द्वारा अपने सामान्य व्यवसाय परिचालन के अनुसरण में किए जाने वाले कार्य।

**क्या किसी कंपनी की सहायक कंपनी या धारक होने के नाते, जो धारा 135(1) के अधीन कसौटियों को पूरा करती हो, कंपनी को धारा 135 के अनुपालन करने के लिए जबाबदेह ठहराती है, चाहे वह कंपनी स्वयं ये कसौटियाँ पूरी करती हो?**

किसी कंपनी की सहायक कंपनी या धारक होने के नाते, जो धारा 135(1) के अधीन कसौटियों को पूरा करती हो, कंपनी को धारा 135 के अनुपालन करने के लिए जबाबदेह नहीं ठहराती है, जब तक कि वह कंपनी स्वयं ये कसौटियाँ पूरी नहीं करती हो।

**क्या नि.सा.उ. के प्रावधान अनुभाग 8 कंपनी पर लागू हैं, यदि वह इस अधिनियम की धारा 135(1) की कसौटियों को पूरा करती हो।**

अधिनियम की धारा 135 पठित है " प्रत्येक कंपनी……", अर्थात् अनुभाग 8 की कंपनियों को धारा 135 के लागू होने के संबंध में कोई विशिष्ट छूट नहीं दी गई है, अतः अनुभाग 8 की कंपनियों को नि.सा.उ. प्रावधानों का अनुपालन करना आवश्यक है।

**क्या कंपनी द्वारा किसी न्यास को धनराशि का दान उस कंपनी का नि.सा.उ. खर्च के रूप में माना जा सकता है?**

का.का.मं. का साधारण परिपत्र सं. 21/2014 दिनांक जून 18, 2014 स्पष्ट करता है कि किसी न्यास/सोसाइटी/अनुभाग 8 की कंपनियों की निधि में अंशदान को तब तक नि.सा.उ. खर्च माना जा सकता है, जबतक कि:

(a) वह न्यास/ सोसाइटी/ अनुभाग 8 कंपनी आदि विशेषकर निगम सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों को हाथ में लेने के लिए निर्मित हों या
(b) जहाँ वह निधि अधिनियम की अनुसूची VII में समाविष्ट विषयों से संबंधित प्रत्यक्ष उद्देश्य के लिए विशेष रूप से निर्मित हो।

**किसी विदेशी कंपनी के लिए निदेशकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए क्या विदेशी कंपनी के लिए यह अधिदेशात्मक है कि नि.सा.उ. गतिविधि पर भी रिपोर्ट दे?**

विदेशी कंपनी के मामले में, धारा 381 की उपधारा (1) के उपखंड (ख) के अधीन पेश किए गए तुलन-पत्र के अनुलग्नक में नि.सा.उ. से संबधित रिपोर्ट होनी चाहिए।

**क्या किसी राजनीतिक दल को अंशदान को नि.सा.उ. गतिविधि माना जा सकता है?**

अधिनियम की धारा 182 के अधीन किसी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई किसी राशि के अंशदान को नि.सा.उ. गतिविधि के रूप में नहीं माना जाता। (नि.सा.उ. नीति नियम 2014 के नियम 4(7) का संदर्भ ले सकते हैं।).

**क्या कंपनी के कर्मचारी और उनके परिवार के लिए नि.सा.उ. परियोजनाएँ या कार्यक्रमों को नि.सा.उ. गतिविधि का अंश माना जा सकता है?**

जी नहीं, नि.सा.उ. परियोजनाएँ या कार्यक्रम या गतिविधियाँ जो केवल कंपनी के कर्मचारियों और उनके परिवारों को लाभ पहुँचाती हों, उन्हें इस अधिनियम की धारा 135 के अधीन निगम सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियाँ नहीं माना जाता। (नि.सा.उ. नीति नियम 2014 के नियम 4(5) का संदर्भ ले सकते हैं।)

**आपदा राहत पर किए गए खर्च नि.सा.उ. के लिए योग्य होते हैं या नहीं?**

आपदा राहत में व्यापक स्तर की गतिविधियाँ समाविष्ट होती हैं जिन्हें अनुसूची VII में सूचूबद्ध विभिन्न मदों के अधीन उपयुक्त रूप से दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए,(i) "निरोधक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को प्रोत्साहन" के अधीन मेडिकल सहायता (ii) भूख, गरीबी और कुपोषण मिटाने के अंतर्गत खादय आपूर्ति को शामिल किया जा सकता है। (iii) "स्वच्छता और साफ पीने के पानी उपलब्ध कराने" के अधीन स्वच्छ जल की आपूर्ति को शामिल किया जा सकता है। (साधारण परिपत्र दिनांक 18.06.2014 के अनुलग्नक का संदर्भ लिया जा सकता है।)

**किसी वस्तु के रूप में अंशदान, नि.सा.उ. रूप में अनुमेय है या नहीं?**

अनुभाग 135 निर्धारित करता है "... सुनिश्चित करें कि कंपनी खर्च करती है....".कंपनी को वह राशि खर्च करनी होगी।